

ऑनलाइन ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेन्ट का झांसा देकर किये गये फ्राड का 295001/- (दो लाख पन्चानवे हजार एक रुपये) रूपये थाना मुहम्मदाबाद द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये ऑनलाइन ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेन्ट का झांसा देकर किये गये फ्राड का कुल 29500 (दो लाख पन्चानवे हजार एक रुपये) रूपये आनलाइन ठगी के शिकार आवेदक मो0 जमाल मुस्तफा पुत्र स्व0 मुस्तफा निवासी काजी टोला बलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद कुल 295001 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मुहम्मदाबाद के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. प्र0 नि0 कमलकांत वर्मा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 मंजेश गौड थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
3. क0आ0 संजय गुप्ता थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
4. म0का0 प्रिया सिंह थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
5. म0आ0 शालिनी मौर्या थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 20,000 (बीस हजार) रूपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना रामपुर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 20,000/- (बीस हजार) रुपये पीडित मो0 अरिफ निवासी महमूदसराय थाना रामपुर जनपद मऊ की कुल 20000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना रामपुर जनपद मऊ ।
2. क0आ0 प्रतीक चन्द्र शुक्ल थाना रामपुर जनपद मऊ ।
3. का0 नीलेश मिश्र थाना रामपुर जनपद मऊ ।

गुमशुदा/खोए कुल 06 अदद मोबाइल फोन लगभग 60,000 (साठ हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामपुर साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना रामपुर में गुमशुदा 06 अदद मोबाइल फोन लगभग 60,000 (साठ हजार) रुपये आवेदक संजय कुमार सागर निवासी बस्ती बर्सी निधियांव थाना रामपुर जनपद मऊ, सुमन्त मल्ल निवासी गोपालपुर निस्फी थाना रामपुर जनपद मऊ, कमालुद्दीन निवासी फरही रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ, पूनम पत्नी सुरेश राजभर निवासी अजोरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ । बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रामपुर के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना रामपुर जनपद मऊ ।
2. क0आ0 प्रतीक चन्द्र शुक्ल थाना रामपुर जनपद मऊ ।
3. का0 प्रवीण कुमार थाना रामपुर जनपद मऊ ।

4. का० कलीम अहमद थाना रामपुर जनपद मऊ।
5. का० नीलेश मिश्रा थाना रामपुर जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध ०१ अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद मऊ द्वारा दिनांक 15-11-2025 को मु०अ०सं० 20/2022 धारा 302 भादवी हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील राजभर पुत्र श्रीकान्त उर्फ मुढ़ी, निवासी इसरतपुर खलिसपुर थाना हलधरपुर को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास कारावास की सजा एवं ₹25000 जुमनि के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह (A.D.G.C), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव, तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनुराग तिवारी थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।